



2026:AHC:57945

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 8040 वर्ष 2026

अमित कुमार एवं 2 अन्य आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : संजय कुमार पाण्डेय

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता को दिन के दौरान 'पक्षकारों की सूची' में सुधार करने की अनुमति दी जाती है।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन परिवाद संख्या 26/2019 (श्रीमती पंकी @ मेधा बनाम अमित कुमार एवं अन्य), अन्तर्गत घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, थाना सेक्टर-58 नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर में सिविल जज (जू.डि.) एफ.टी.सी.-2, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 25.03.2025 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो से संबंधित है।
4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक संख्या 1, विपक्षी संख्या 2 का पति है और विवाह वर्ष 2015 में संपन्न हुआ था, लेकिन कुछ वैवाहिक विवाद के बाद, विपक्षी संख्या 2 ने आवेदकों के विरुद्ध वर्तमान कार्यवाही शुरू की और विद्वान मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया, लेकिन आवेदकों पर नोटिस की तामील नहीं हुई थी, इसलिए आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.03.2025 के आदेश द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदकों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की, जिसमें यह कहा गया कि आवेदक, विपक्षी संख्या 2 को भरण-पोषण के रूप में 10,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करें। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान आदेश आवेदकों को सुने बिना एकपक्षीय रूप से पारित किया गया था।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौरभ कुमार त्रिपाठी बनाम विधि रावल, 2025 एससीसी ऑनलाइन 1158 में दिए गए निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 35 और 36 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"35. जब धारा 12(1) के तहत आवेदन के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग की बात आती है, तो उच्च न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 एक जनहितकारी कानून है जिसे विशेष रूप से उन महिलाओं को न्याय देने के लिए अधिनियमित किया गया है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं और घरेलू हिंसा के कृत्यों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसलिए, धारा 12(1) के तहत कार्यवाही को रद्द करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को बहुत धीमा और सावधान रहना चाहिए। हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब मामला स्पष्ट रूप से घोर अवैधता या कानूनी प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग का हो। आम तौर पर, धारा 12(1) के तहत आवेदन को रद्द करने के लिए धारा 482 के अंतर्गत कार्यवाहियों से निपटते समय उच्च न्यायालय को 'हस्तक्षेप न करने' का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब तक उच्च न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना पर विचार करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में संयम नहीं दिखाते, तब तक घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 को अधिनियमित करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

36. हमें यहाँ यह भी नोट करना चाहिए कि एक विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध, धारा 29 के तहत सत्र न्यायालय में अपील का प्रावधान है। इसके विपरीत, सामान्यतः, किसी अपराध का संज्ञान लेने वाले आदेश या प्रक्रिया जारी करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील का कोई उपचार उपलब्ध नहीं होता है। यही एक अन्य कारण है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005



की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को सावधानी बरतनी चाहिए।

7. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करते हुए, यह पाया गया कि आदेश विपक्षी संख्या 2 को सुनने के बाद पारित किया गया है; आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न्यायालय ने भरण-पोषण के लिए एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जो न्यायसंगत और उचित है। आवेदक के पास अपील दायर करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 29 के तहत उपचार उपलब्ध है।

8. किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना को एतद्वारा अस्वीकार किया जाता है।

9. हालांकि, आवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि वे कानून के अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष अपील दायर करें। आवेदकों की अपील पर विचारण न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, चार सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

19 मार्च, 2026

मिनी